कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी

// लेखन सामग्री हेतु निविदा //

क्र. / निर्वा./ निर्वा.पर्य./2013/238 दिनांक06/ 09/ 2013

// निविदा सूचना //

विधान सभा चुनाव 2013 को संपन्न कराये जाने हेतु लेखन सामग्री क्रय की जाना है। लेखन सामग्री प्रदाय करने हेतु दिनांक 18-09-2013 समय दोपहर 2.00बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र दिनांक 17-09-2013 तक रूपये 100/- नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदाकार को धरोहर राशि रूपये 10000/- नगद या राष्ट्रीकृत बैक का बैक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

निविदा शर्ते , सामग्री की सूची एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समाय में दिनांक 17-09-2013 तक प्राप्त की जा सकती है एवं WWW.dindori.nic.in पर देखा जा सकता है। प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष दिनांक 18-09-2013 को समय अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी

पृ.क्र. / निर्वा./ निर्वा.पर्य./2013/238-A दिनांक06/ 09/ 2013

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .... को प्रेषित । कृपया निविदा सूचना पटल पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, डिण्डौरी को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एनआईसी डिण्डौरी को जिले की वेबसाईट में उक्त विज्ञापन अपलोड करने हेतु ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिण्डौरी

// लेखन सामग्री निविदा की शर्ते //

1. निविदा कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस को छोडकर) में जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के सीलबंद लिफाफे पर "निर्वाचन सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा" लाल स्याही से अंकित होना आवश्यक है।
2. क्रय किये जाने वाली सामग्री की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर निविदा में सूची अनुसार सामग्रियों की दरें दर्शावे।
3. प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रूपये 10,000/- (अंकन - दस हजार रूपये) डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या काल डिपाजिट द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना प्रतिभूति राशि जमा किये प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
4. निविदा निर्धारित तिथि /समय तक प्राप्त होना आवश्यक है। निर्धारित समय पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाना संभव नही होगा।
5. निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री की किस्म तथा नमूना प्रस्तुत करना होगा। सामग्री का साईज, नाप तौल आदि जो निविदा में दिया है अंकित करना अनिवार्य है । नमूना के अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
6. निविदा की दर प्रति नग, प्रति रीम, प्रति किलो, प्रति दर्जन सैकडा या हजार आदि जैसी भी स्थिति हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा सामग्री पर सूची के अनुक्रमांक भी अंकित किया जावें।
7. निविदाकार आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर पर सामग्री प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
8. निविदा में वर्तमान विक्रय कर पंजीयन क्रमांक आवश्यक रूप से लिखा जावें, बिना विक्रय कर पंजीयन क्रमांक के निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
9. यह निविदा , निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 06 माह तक प्रभावशील रहेगी।
10. निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले मांग पत्र के अनुसार सामग्री तत्काल प्रदाय करना अनिवार्य होगा। समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने पर अन्य दुकानदार से सामग्री लिये जाने की दशा में अंतर की राशि की वसूली सफल निविदाकार से भू - राजस्व की भांति वसूल की जावेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी को होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को उपरोक्त शर्त स्वीकार है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
डिण्डौरी